

3.2.21 पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली पेश की। अधिकारी महोदय वॉर/ राजकोश में एक रखते हैं। पत्रावली को पेश है। my 29-4-21

29/4/21 पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली उपस्थित है। श्रीमान अधिकारी महोदय वॉर/ राजकोश में एक रखते हैं। पत्रावली को पेश है। my 5/8/21

5/8/21 पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली उपस्थित है। श्रीमान पोतलोन अधिकारी महोदय वॉर/ अतकार/अन्य राजकोश में एक रखते हैं। पत्रावली को पेश है। my 18/11/21

1-11-21 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट मोडसा में आज पेश हुई। पत्रावली के नोटिस बाद हमील सेलमन ही रास्ता दिखे जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार वादी द्वारा खसरा नं. 844/1436 खबा 5-07 बीघा में से रास्ता चला गया है जो मुताबिक रिकार्ड प्रतिवादीगण पोखर के खतौं दर्ज है। मुताबिक रिकार्ड नक्शा में वांछित रास्ता दर्ज नहीं है। वर्तमान में वादी की भूमि की दक्षिणी गैड पर बने हुए वैकल्पिक रास्ते में से होकर वादी आता जाता है। वादी की खतौदारी भूमि से वैकल्पिक रास्ते की दूरी कम चाहे गये रास्ते से बहुत कम है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज व रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। बहस वाद पत्र उपस्थित पत्रावली सुनी गयी तहसीलदार नैनवां की

प्रशासन
संग अभियान
केम्प कोर्ट

Shivraj
शाबाशम
पोखर जी.



हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वादी के खेत
पर आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजे
पर मौजूद है जो वादी द्वारा चाहे गए
रास्ते की लम्बाई से कम दूरी का है।
अतः वादी को नया रास्ता दिये जाने की
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः वैकल्पिक
रास्ता मौजे पर मौजूद होने के कारण वादी
का वाद खारिज किया जाता है। निम्न
सुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली
बाद तकमील दारिबल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी

बैजवा (मुन्दी)